19/6/[illegible]	प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां वादी द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया जाना व अदालत पीठासीन में स्वीकार किया जाना पुष्ट है अतः T.I प्रमाण के चलन का कोई औचित्य नहीं है। लिखित प्रमाण का प्रमाण-पत्र अदालत में प्रस्तुत अदालत पीठासीन के समक्ष किया जाना है। प्रमाण केवल बाबत व्यवहार के अदालत के जाबता आमिल अमल वाद है।